

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (बसिया)

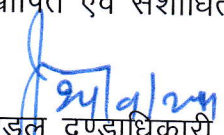
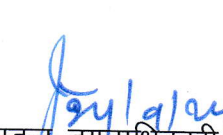
आदेश

वाद सं० 41/2018
धारा 107 दंडप्र०सं०

प्रथम पक्ष — नबोर मिंज

बनाम

द्वितीय पक्ष — विनोद महतो वगै०

आदेश की क्र०सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
	अभिलेख उपस्थापित :- थाना बसिया के अप्राथमिकी संख्या 17/2018 दिनांक 26.07.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष— नबोर मिंज उम्र 33 वर्ष पिता— पलासी दास ग्राम— कोनबीर, नवाटोली संत अन्ना चर्च थाना— बसिया जिला— गुमला द्वितीय पक्ष— (1) विनोद महतो उम्र 48 वर्ष पिता— लक्ष्मण महतो (2) नकुल महतो उम्र 45 वर्ष पिता— लक्ष्मण महतो (3) दुर्गा महतो उम्र 41 वर्ष पिता— लक्ष्मण महतो, सभी ग्राम—कलिगा थाना— बसिया जिला— गुमला के बीच भूमि विवाद है। फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना को लेकर वाद लाया गया था। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि उक्त वाद की कार्रवाई अवधि में उभय पक्षों के बीच किसी प्रकार की शांति भंग एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। उक्त वाद की कार्रवाई अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद नहीं होने के कारण आज दिनांक 24/09/2024 को उक्त वाद के अभिलेख एवं ऑनलाईन में बंद किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)	